भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-47

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षण पद

†47. श्री शफी परम्बिल:
श्री टी.एम. सेल्वागणपति:
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य सहित देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षण पदों की संख्या और प्रतिशत क्या है;
(ख) यदि हां, तो 31 अक्टूबर 2024 तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों की संख्या कितनी है और क्या सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त सभी शिक्षण पदों को भरने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) पिछले दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रिक्त पदों की तुलना में कितने शिक्षण पद भरे गए;
(ड.) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है और इन रिक्तियों का इन विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पास करने वाले छात्र परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और
(च) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इसकी समय-सीमा क्या है तथा भर्ती प्रक्रिया में किन चुनौतियों की पहचान की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत

निर्मित अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5182 शिक्षण पद रिक्त हैं, जिनमें तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 28 रिक्त शिक्षण पद शामिल हैं। दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए रिक्त पदों की संख्या 740, अनुसूचित जनजाति के लिए 464 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1546 है।

रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां सृजित होती हैं; पदों को भरने का दायित्व केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) पर है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से रिक्तियों को भरने का निदेश दिया गया है। विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7650 से अधिक शिक्षण पद भरे गए हैं, जिनमें एससी वर्ग के 1048 पद, एसटी वर्ग के 512 और ओबीसी वर्ग के 1734 पद शामिल हैं। यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने हेतु दिनांक 02.05.2023 को सीयू-चयन नामक एक एकीकृत भर्ती पोर्टल शुरू किया है।

इसके अलावा, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम आरक्षण के उद्देश्य से विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को अलग-अलग विभागों के बजाय एक संवर्ग या इकाई के रूप में मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण से संबंधित कठिनाई को दूर करता है।

*****